



देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

क्रमांक प्रशा/लोकसेवा/2020/२३३

// अधिसूचना //

दिनांक : 2 MAR 2020

एतद्वारा समस्त संबंधितों को अधिसूचित किया जाता है कि, प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय वल्लभ भोपाल से प्राप्त पत्र क्रमांक 144/2886/2019/38-3 दिनांक 27.01.2020 के द्वारा सेवा प्रबंधन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 631/1452/2018/61/लोकसेवा/पी.एस.जी 21 दिनांक 06 नवंबर 2019 के संदर्भ में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 अंतर्गत उच्च शिक्षा विभाग के सेवा क्रमांक 21.4 के तहत शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करना।

शोध उपाधि समिति (आरडीसी) के पश्चात् निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखा जाना है:-

- सेवा का उद्देश्य :-** इस सेवा का उद्देश्य उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 अथवा पृथक अधिनियम से स्थापित समस्त विश्वविद्यालयों में निर्धारित समय सीमा में शोध उपाधि (आरडीसी) की बैठक के बाद अथवा शोध उपाधि समिति की बैठक में लिये समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करना है। यदि समस्त आक्षेपों के निराकरण के बाद 15 कार्य दिवस में शोध पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं होता है तो सेवा का लाभ लिया जा सकता है।
- पदाभिहित अधिकारी का पदनाम एवं समय—सीमा :-**

सेवा का नाम (21.4)	पदाभिहित अधिकारी	समय—सीमा
शोध उपाधि (आरडीसी) की बैठक के बाद में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन प्रमाण पत्र प्रदान करना	सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)	07 कार्य दिवस

3 पात्रता की आवश्यक शर्तें :-

- मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा निर्धारित पी.एच.डी. रेग्युलेशन 2019 के अनुसार बनाए गए अध्यादेश के अन्तर्गत शोध पंजीयन की प्रक्रिया 22-12-2011 से प्रभावशील हो चुकी है, तदनुसार विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार में चयनित विद्यार्थी जो कि शोध उपाधि समिति की बैठक में उपस्थित हुए हो और यदि शोध उपाधि समिति द्वारा आक्षेप बताए गए हों उस स्थिति में समस्त आक्षेपों के निराकरण के बाद शोध पंजीयन पत्र प्राप्त करने के पात्र होंगे।

नोट :- यह सेवा शोध उपाधि (आरडीसी) की बैठक में दिनांक से अथवा शोध उपाधि समिति की बैठक में लिये गये समस्त आक्षेपों के निराकरण होने संबंधी पत्र कुलसचिव कार्यालय में प्रस्तुत करने के दिनांक से 15 कार्य दिवसों के अंदर स्वतः प्राप्त हो जाएगी। यदि 15 दिवस में शोध पंजीयन प्रमाण—पत्र प्राप्त नहीं होता है तो इस सेवा का लाभ लिया जा सकता है।

4 आवश्यक दस्तावेज़ :- आनलाईन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करने होंगे—

- शोध उपाधि समिति की बैठक की सूचना/पत्र की प्रति।
- यदि आर.डी.सी द्वारा आक्षेप व्यक्त किया गया है तो आक्षेप व्यक्त करने संबंधी पत्र की प्रति।
- आक्षेप व्यक्त किए जाने की स्थिति में आक्षेप निराकृत होने एवं उसे कुलसचिव के कार्यालय में जमा करने की पावती की प्रति।

5. आवेदन करने का स्थान :— /एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल/सम्बंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट/लोक सेवा केंद्र/कियोस्क।

6. आवेदन का माध्यम :—

इस सेवा के लिए आवेदन /एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल/सम्बंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट/लोक सेवा केंद्र/कियोस्क के माध्यम से सम्बंधित विश्वविद्यालय में ऑनलाईन किया जायेगा।

7. आवेदन करने की प्रक्रिया :—

7.1 संबंधित विश्वविद्यालय में ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया :—

7.1.1 आवेदन पत्र, पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में कंडिका-4 में दर्शाये अनुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदक द्वारा ऑनलाईन भरे जायेंगे। पदाभिहित अधिकारी (सम्बंधित विश्वविद्यालय का सहायक कुलसचिव) ऑनलाईन भरे गये फार्म की आगामी प्रक्रिया संपादित करेंगे।

7.1.2 आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे, अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 5 (1) के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन उपलब्ध होगी। जिसमें आवेदक का आवेदन क्रमांक/पंजीयन आवश्यक रूप से अंकित होगा।

7.1.3 पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में पावती में निराकरण की समय-सीमा का उल्लेख किया जायेगा और यदि आवेदन अपूर्ण है तो समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया जायेगा परंतु जो आवश्यक दस्तावेज संलग्न नहीं किये गये हैं उनका उल्लेख प्रदाय अभिस्वीकृति में किया जायेगा।

7.1.4 आवेदन लेते समय आवेदक के मोबाईल नम्बर, ई-मेल आई.डी. (यदि हो तो) का उल्लेख भी कराया जाये ताकि आवश्यकतानुसार आवेदन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रेषित किया जा सके।

7.1.5 आवेदन का पंजीयन मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम, 2010 के अनुसार निर्धारित प्रारूप में पंजी (रिपोर्ट) ऑनलाईन पोर्टल पर पदाभिहित अधिकारी के लॉगिन आई.डी. में उपलब्ध रहेगी जिसमें आवेदक का आवेदन क्रमांक/पंजीयन आवश्यक रूप से अंकित होगा। एक ही आवेदन को पृथक—पृथक पंजियों में इन्द्राज आवश्यक नहीं होगा।

7.1.6 संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर यथाशीघ्र परंतु निर्धारित समय-सीमा में आवेदन का निराकरण किया जायेगा। सकारात्मक निराकरण की स्थिति में अंकसूची में संशोधन (नाम, उपनाम, जन्मतिथि, माता-पिता का नाम टंकण त्रुटि सुधार आदि) के पश्चात् नवीन संधोधित अंकसूची, आवेदक द्वारा आवेदन में दर्शाये गये डाक के पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा जावेगा एवं आवेदन के निराकरण से संबंधित जानकारी/स्थिति “चममक छेजध्येचंबी छवण आदिद्व सम्बंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट/एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर बैमबा त्वनत “जंजनेश के माध्यम से आवेदन क्रमांक दर्ज कर प्राप्त की जाएगी।

7.1.7 आवेदन पत्र अस्वीकृत करने की स्थिति में भी सूचना कारण सहित आवेदक को लिखित में दी जावेगी।

7.2 लोक सेवा केन्द्र/एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल/कियोस्क में आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया—

7.2.1 आवेदन का पंजीयन कंडिका-4 में उल्लेखित दस्तावेज के साथ लोक सेवा केंद्र/कियोस्क पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा।

7.2.2 आवेदन प्राप्त करते समय आवेदक का मोबाईल नम्बर, समग्र आई.डी. एवं ई-मेल आईडी आवेदक के पास होने की स्थिति में आवश्यक रूप से लिया जायेगा।

7.2.3 ऑनलाईन आवेदन जमा होने के साथ ही सॉफ्टवेयर से आवेदन की पावती तैयार होगी। पूर्ण आवेदन जगा होने की स्थिति में निराकरण की समय-सीमा सॉफ्टवेयर द्वारा पावती पर अंकित होगी। अपूर्ण

आवेदन की स्थिति में छूट गये दस्तावेजों का उल्लेख होगा। आवेदन जमा होने के बाद पावती पर लोक सेवा केन्द्र ऑपरेटर द्वारा हस्ताक्षर कर आवेदक को दी जायेगी।

7.2.4 लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क पर आवेदन की ऑनलाईन पावती जमा होते ही आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी के अकाउन्ट में ऑनलाईन उपलब्ध हो जायेगा।

7.2.5. पदाभिहित अधिकारी ऑनलाईन आवेदन के आधार पर परिपत्र की कंडिका-8 में बताई प्रक्रिया अनुसार उसके निराकरण की कार्यवाही करेगा और यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में आवेदन का निराकरण कर सेवा प्रदान की जाएगी।

8. आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया :-

8.1 आवेदक का ऑनलाईन आवेदन संबंधित विश्वविद्यालय के पदाभिहित अधिकारी के लॉगिन आई.डी. पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा।

8.2 पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन कंडिका-6 अनुसार एवं कंडिका-7 अनुसार प्रस्तुत किये जाएंगे।

8.3 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका-3 अनुसार पात्रता एवं कंडिका-4 अनुसार दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा एवं पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन—पत्र अपने अधिनरथ संबंधित कक्ष/शाखा को सत्यापन हेतु तत्काल अंवित किया जायेगा।

8.4 संबंधित कक्ष/शाखा आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान कर आवश्यक प्रमाण—पत्र तैयार कर पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

8.5 यदि आवेदक पात्र है तो संबंधित कक्ष/शाखा आवेदन—पत्र प्राप्त होने पर कार्यालयीन अभिलेखों से मिलान कर आवश्यक प्रमाण—पत्र तैयार कर पदाभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निर्धारित समय-सीमा अनुसार निराकरण कर कक्ष से प्राप्त प्रमाण—पत्र यथाशीघ्र परंतु समय-सीमा में जारी किया जाएगा।

8.6 विश्वविद्यालयों द्वारा शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदाय हेतु इन निर्देशों के पूर्व बनाए गए परिनियमों/अध्यादेशों के अंतर्गत प्रत्यलित प्रक्रिया दिनांक 27.01.2020 से इस निर्देश में दी गई प्रक्रिया से अधिरोपित मानी जाएगी। अर्थात् शाखी विश्वविद्यालयों में दिनांक 27.01.2020 से शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिये गए समाल आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदाय हेतु इस निर्देश में दी गई प्रक्रिया लागू होगी।

8.7 यदि आवेदक शोध उपाधि समिति (आरडीसी) की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदाय के लिए पात्र नहीं पाया जाता है तो ऐसे आवेदन पत्र के लिये स्पष्ट कारण दर्शाते हुए निरस्त करने का आदेश पदाभिहित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में पारित किया जाएगा।

9. शुल्क-

विवरण	निर्धारित शुल्क
i) विभागीय सेवा शुल्क	i) संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क
ii) लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क से आवेदन करने पर	ii) लोक सेवा केन्द्र/कियोस्क का निर्धारित शुल्क केन्द्र संचालक को अलग से देय होगा

10 अपील—आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा :-

i- आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर

अथवा

ii- आवेदन का निराकरण समय-सीमा में न होने पर अपील निम्नानुसार की जा सकेगी—

सेवा (21.4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
शोध उपाधि समिति (आरडीसी)की बैठक में लिए गए समस्त आक्षेपों के निराकरण होने के बाद शोध पंजीयन पत्र प्रदान करना ।	उप-कुलसचिव (शैक्षणिक)	07 कार्य दिवस	कुलसचिव

उपरोक्तानुसार लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्ण की जाना सुनिश्चित करें।

पृ.क्रमांक प्रश्ना/लोकसेवा/2020/२३३
प्रतिलिपि :-

दिनांक

कुलसचिव
2 MAR 2020

- 1 प्रमुख सचिव,लोक सेवा प्रबंधन विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल
- 2 प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन,उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल
- 3 आयुक्त उच्च शिक्षा सतपुड़ा भवन,भोपाल
- 4 क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक इन्डौर सम्भाग इन्डौर
5. परीक्षा नियंत्रक, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
6. उपकुलसचिव(परीक्षा—गोपनीय)/उपकुलसचिव(शैक्षणिक)/सहायक कुलसचिव (गोपनीय)/सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ प्रेषित।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, विश्वविद्यालय अध्ययनशालाओं की ओर सूचनार्थ 8विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
- 9 विभागाध्यक्ष, आय.टी. सेंटर की ओर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु
10. विश्वविद्यालय के मीडिया प्रभारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रश्ना.)